अध्याय 8

खदान अग्नि के लिए उद्धार और पुनर्वास

रानीगंज कोयला क्षेत्र (आरसीएफ) और झरिया कोलफील्ड्स (जेसीएफ) जो वर्तमान में ईसीएल और बीसीसीएल के अंतर्गत हैं, में धंसने और आग की समस्याएं, पूर्व खान मालिकों द्वारा राष्ट्रीयकरण से पहले 200 से अधिक वर्षों से पहले किए गए अवैज्ञानिक खनन का परिणाम हैं। पुराने खनन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी में पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई, हालांकि इन क्षेत्रों को स्थानीय प्रशासन द्वारा आवास के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था। मंत्रालय द्वारा आग, धसान और पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, कोयला कंपनियों और संबंधित राज्य सरकारों के सह-सदस्यों द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति (दिसंबर 1996) का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने रानीगंज के (₹ 2661.73 करोड़) और झरिया (₹ 7112.11 करोड़) कोलफील्ड्स के लिए ₹ 9773.84 करोड़ के अनुमानित निवेश पर ईसीएल और बीसीसीएल के पट्टेदार क्षेत्रों में आग, धसान और उद्धार और सतही बुनियादी ढांचे के विपथन से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान (अगस्त 2009) अनुमोदित किया। अनुमोदित मास्टर प्लान की मुख्य विशेषताओं को **संलग्नक-V** में दर्शाया गया है।

यद्यपि ईसीएल और बीसीसीएल को अग्नि परियोजनाओं को संभालने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया था और क्रमश: रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों के असुरक्षित क्षेत्रों से उनके कर्मचारियों और उनके परिवारों का उद्धार/पुनर्वास, को पश्चिम बंगाल की सरकारों झारखंड को अपने संबंधित प्रांतीय क्षेत्राधिकार में अन्य लोगों का (अतिक्रमणकारियों सहित) उद्धार और पुनर्वास करना था।

8.1 मास्टर प्लान का कार्यान्वयन

8.1.1 रानीगंज मास्टर प्लान

ईसीएल ने अस्थिर स्थानों से सभी कर्मचारियों के परिवारों को स्थानांतरित कर दिया। गैर-ईसीएल परिवारों से संबंधित कार्य पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्ल्यूबी) द्वारा अपनी

प्रशासनिक एजेंसी आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) के माध्यम से शुरू किया गया था। ईसीएल ने पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली बाधाओं को समय पर समाप्त करने पर जोर देने के लिए एडीडीए के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी की थीं।

8.1.2 झरिया मास्टर प्लान

हमने बीसीसीएल द्वारा अग्नि परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अपने कर्मचारियों के परिवारों के पुनर्वास में निम्नलिखित कमियों पाई।

- जेएमपी अनुमोदित होने के नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी बीसीसीएल ने जेएमपी में परिकल्पित अग्निशमन गतिविधियों को तैयार नहीं किया। अग्निशमन गतिविधियां केवल 25 परियोजनाओं (पहचान की गई 45 परियोजनाओं के प्रति) में शुरू हुई, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अतिरिक्त आग क्षेत्र में और इसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया गया।
- यद्यपि जेएमपी ने केवल छह परियोजनाओं में खुदाई और बैक फिलिंग तकनीक अपनाने की सिफारिश की थी, बीसीसीएल ने जेएमपी से विपथ होते हुए सभी 25 परियोजनाओं में इसे अपनाया जिसके लिए रिकॉर्ड में कोई कारण दर्ज नहीं किऐ गए थे। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद ने सूचित किया कि खुदाई के कारण सतह पर आग की प्रमात्रा 2014 में 2.018 वर्ग किमी से 2018 में बढ़कर 3.28 वर्ग किमी हो गयी। हमने पाया कि भूमिगत आग के फैलाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। बीसीएल ने कहा (नवम्बर 2018) कि इस निर्धारण करने हेतु वह विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने पाया की सीमा का निर्धारण करने हेतु अन्य ऐजेंसियों को पारिश्रमिक पर नियुक्त करने की संभावनाओं पर विचार नहीं किया (नवम्बर 2018)।

चित्र 15 एवं 16: पैरा सं. 8.1.2: बीसीसीएल की झरियां पर खदान आग

- पहचान किए गऐ कोयला रहित क्षेत्र में 70011 क्वार्टर[49] (आरंभ में 79159 क्वार्टर निर्धारित किऐ गऐ थे, बाद में बीसीसीएल के रोल पर श्रमबल में कमी के कारण अनुवर्ती समय में कमी की गई।) इसके प्रति नवम्बर 2018 के अंत की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 17: जेएमपी के अंतर्गत बीसीसीएल में क्वार्टरों की अधिग्रहणता की स्थिति

क्र. सं.	क्वार्ट	हेतु		कुल
		कर्मचारी[50]	अन्य[51]	
1	निमित किए जाने	15852	54159	70011
2	वास्तव में निर्मित	7639	6352	13991
3	(1) के प्रति (2) की *प्रतिशतता*	48	12	20
4	वास्तव में अधिग्रहित	3366	2122	5488
5	(2) के प्रति (4) की *प्रतिशतता*	44	33	39

निर्मित किऐ गऐ क्वार्टरों में से केवल 6668 क्वार्टर (87 *प्रतिशत*) इसके कर्मचारियों को आबंटित किए गऐ। 971 रिहायशी क्वाटरों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को आबंटित क्वार्टरों में से 49 *प्रतिशत* खाली ही पड़े है। इस प्रकार, मूलभूत सुविधाओं के लिए ₹ 51.35 करोड़[52] की लागत से पुन: की गई पुनवार्स व्यर्थ पड़ी रही। डीएमपी के कार्यान्वयन में प्रगति की धीमी गति से निवासीयों को भू-अवतलन और अन्य पर्यावरणीय हानियां होने का खतरा हो गया।

- पुटकी और गोधुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 32 (एनएच) का विस्तारण कार्य जेएमपी के अंतर्गत बीसीसीएल को पट्टे पर सौंपा जाना था, जो कोयला प्रभावित अग्नि क्षेत्र से गुजरता है। झारखंड सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है (नवम्बर 2009) जिससे की कोयले की खुदाई सुविधाजनक हो सके। इस दौरान, अंतरिम कदम के तहत, एक

---

49 कर्मचारियों के लिए 15852 क्वार्टर और अन्यों के लिए 54159 क्वार्टर शामिल

50 बीसीसीएल द्वारा निर्माण किया जाना

51 झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) द्वारा निर्माण किया जाएगा।

52 5576 क्वार्टरों की कुल लागत ₹ 294.86 करोड़ (औसत आधार पर) 971 आवंटित न किए गए क्वार्टरों की कुल लागत (औसत आधार पर) ₹ 294.86 * 971/5576 ₹ 51.35 करोड़

वैकल्पिक मार्ग बनाया जाना था और उसका व्यय बीसीएल द्वारा उठाया जाना था। यद्यपि बीसीसीएल ने इसके प्रति जेआरडीए के पास (फरवरी 2012) ₹ 19.85 करोड़ जमा करा दिऐ हैं, फिर भी इसे अभी तक पुटकी और गोधुर के बीच एनएच के विस्तार पर अपना आधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2018)।

कब्जा करने वालों और निजी कानूनी शीर्षक धारकों का पुनर्वास झारखंड सरकार ने जेआरडीए के द्वारा लिया था।

लेखापरीक्षा परिणाम

बीसीसीएल ने झारिया मास्टर प्लान में परिकल्पित अग्निशमन कार्यकलापों की तैयारी नहीं की थी। अग्नि-शमन कार्यकलापों सिर्फ 25 परियोजनाओं में शुरू की गई थी (45 पहचानी गई परियोजनाओं की तुलना में)। आग लगातार वहां पर रह रहे और आसपास रह रहे लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रही है,साथ ही पर्यावरण को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रही है।